कार्यालय जिलापरिषद, झालावाड़

क्रमांक / निरीक्षण एवंरात्रि–चौपाल / 2015 / 2213 दिनांकः 14/10/2015

आदेश

श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक प.3(8)प्रसु / टाईम्स / 2013 दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 तथा श्रीमान जिला कलक्टर झालावाड़ के आदेश कमांकः 215–245 पीजी / निरीक्षण / 2015 दिनांक 30.01.2015 व आदेश कमांक 495–496पीजी / निरीक्षण / 2015 दिनांक 28.05.2015 के क्रम में आमजन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान व निराकरण व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से अद्योहस्ताक्षरकर्ता के **माह नवम्बर 2015 में दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई एवं रात्रि चौपाल** का कार्यक्रम निम्न प्रकार रहेगा।

दिनांक	नाम उपखण्ड	नामग्रामपंचायत व पंचायतसमिति	दौरा / निरीक्षण एवंरात्रि चौपाल
03.11.2015	झालावाड़	झूमकी प.स. झालरापाटन	दौरा, निरीक्षण एवं जनसुनवाई
06.11.2015	खानपुर	सोजपुर प.स. खानपुर	दौरा, निरीक्षण जन सुनवाई एवं रात्रि चौपाल
10.11.2015	अकलेरा	बोरखेडी गुजरान प.स. अकलेरा	दौरा, निरीक्षण एवंजनसुनवाई
17.11.2015	झालावाड़	बडाय प.स. बकानी	दौरा, निरीक्षण एवंजनसुनवाई
20.11.2015	मनोहरथाना	बनेठ प.स. मनोहरथाना	दौरा, निरीक्षण जन सुनवाई एवं रात्रि चौपाल
24.11.2015	भवानीमंडी	सिलेहगढ प.स. भवानीमंडी	दौरा, निरीक्षण एवं जनसुनवाई
27.11.2015	पिडावा	सुनेल पं.स. सुनेल	दौरा, निरीक्षण जन सुनवाई एवं रात्रि चौपाल

- निरीक्षण हेतु नियत ग्राम पंचायत में उक्त पंचायत में स्थित कार्यालयो का निरीक्षण करेगे।
- रात्रि चौपाल हेतु नियत ग्राम पंचायत में जनसुनवाई कर समस्याओ का समाधान किया जायेगा।
- सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी सम्बंधित प्रपत्रों को भरकर राजस्थान सम्पर्क आई.टी. पोर्टल पर अपलोड करेगे।
- राजस्थान सम्पर्क आई.टी. पोर्टल पर डी.डी.जी. 1 सेडी.डी.जी. 7 तक के प्रपत्र व **जनसुनवाई, निरीक्षण, दौरे, रात्रि चौपाल** ऑनलाईन उपलब्ध करवा दिये गये है।सम्बंधित Adopter अधिकारी उक्त प्रपत्रों को जनसुनवाई, निरीक्षण, दौरे के पश्चात उसी दिन ऑनलाईन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्पूर्ण रात्रि चौपाल कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी संबंधित उपखण्डअधिकारी / विकासअधिकारी / तहसीलदार होंगे तथा सहायक प्रभारी संबंधित विकास अधिकारी होंगे।
- उपखण्ड अधिकारी अपने स्तर से संबंधित जनप्रतिनिधिगणों को चौपाल में उपस्थित होने हेतु निवेदन करेंगे।
- रात्रि चौपाल में निम्न विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित होकर मौके पर ही समस्याओं का समाधान करेंगे।

  1. जलदाय विभाग 2. विद्युतविभाग 3. चिकित्सा एवंस्वास्थ्य विभाग 4. पशुपालनविभाग 5. समाज कल्याण विभाग 6. महिला एवं बाल विकास विभाग 7. शिक्षा विभाग 8. राजस्व विभाग 9. रसद विभाग 10. सार्वजनिक निर्माण विभाग

- **सभी विभाग रात्रि चौपाल के निर्धारित दिवस से एक दिन पूर्व समस्याओ का चिन्हीकरण करेगे तथा उनका निस्तारण भी करेगे।**
- विभिन्न व्यक्तिगत लाभ के आवेदन पत्र भी भरवायेगे, उनकी पूर्ति भी करायेगे जिससे रात्रि चौपाल मे स्वीकृति जारी की जा सके।
- रात्रि चौपाल में प्राप्त जनसमस्याओं को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उसका समाधान मौके पर ही संबंधित अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
- रात्रि चौपाल के दो दिन पूर्व संबंधित उपखण्ड अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उस पचांयत की क्या–क्या परिसम्पत्तियॉ है, उसकी सूची तैयार कर जिला मुख्यालय पर फैक्स द्वारा भिजवायेंगे तथा गांव की रुपरेखा मौके पर ही तैयार रखेगें।

- उस ग्राम की ग्राम पंचायत क्षैत्र मे नियुक्त ग्रामसेवक/पटवारी/आंगनबाडी कार्यकता/महिला सुपरवाईजर/ए0एन0एम0 एवं वहॉ के विद्यालय के प्रधानाध्यापक अपने विभागों की उपलब्धियों के बारे में ब्यौरा चौपाल मे प्रस्तुत करेंगे।
- उस ग्राम में विभिन्न प्रमुख सरकारी योजनाओं 'यथा मुख्य मंत्री बीपीएल आवास योजना/ पेंशन/ महानरेगा/ अन्नसुरक्षा योजना एवं बीपीएल सूची में नाम इत्यादि से लाभान्वित परिवार/व्यक्ति का ब्यौरा रखें।
- जिन समस्याओं को मौके पर समाधान नही किया जा सकता उनको पंजीबद्ध करके संबंधित विभाग को कम से कम समय में निस्तारण करने हेतु पाबन्द किया जावे। इसकी सूचना चौपाल प्रभारी रखेंगे।
- प्रत्येक समस्या/प्रार्थना पत्र को पंचायत समिति स्तर के सम्पर्क समाधान पोर्टल पर चौपाल के अगले दिन दर्ज किया जावेगा।
- निरीक्षण/जनसुनवाई/रात्रि चौपाल के समय प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं को दर्ज कर निर्धारित प्रारूप में परिवादी को पावती देने की जिम्मेदारी सम्बंधित कलस्टर प्रभारी (उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/विकास अधिकारी) की होगी।
- प्रभारी अधिकारी रात्रि चौपाल कार्यक्रम के अन्त में पटवारी/ग्राम सेवक से लिखित में यह प्रमाण पत्र लेगें कि उक्त ग्राम/ग्राम पंचायत में राजकीय योजनाओं यथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित होने से कोई भी व्यक्ति शेष नहीं है।
- निरीक्षण एवंरात्रि चौपाल की समस्त प्रगति रिपोर्ट श्रीमान जिला कलक्टर झालावाड़ के पत्र क्रमांक 215–245/पीजी/निरीक्षण/2015 दिनांक 30.01.2015 में संलग्न प्रपत्रो में तैयार की जायेगी।

संलग्न :–माह नवम्बर, 2015 का कार्यक्रम।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, झालावाड़

क्रमांक/निरीक्षण एवंरात्रि–चौपाल/2015/ 2213 दिनांकः 14/10/2015

1. श्रीमति वसुंधरा राजे सिंधिया माननीया विधायक झालरापाटन एवं मुख्यमंत्री राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय प्रभारी मंत्री जिला झालावाड़।
3. श्री दुष्यन्त सिंह माननीय सांसद लोकसभा संसदीय क्षेत्र झालावाड़–बारां ए.बी.–17 तिलक मार्ग नईदिल्ली 110001
4. माननीय विधायक श्री रामचन्द्र सुनारीवाल, डग/श्री कंवरलाल मीणा, म0थाना/श्री नरेन्द्र नागर खानपुर
5. श्रीमति टीना भील,जिला प्रमुख–जिला परिषद झालावाड़।
6. संबंधित क्षेत्रीय जिला परिषद सदस्य
7. प्रधान, प0स0 (समस्त) ....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है–

1. श्रीमान अति0 मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार जयपुर।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (प्रभारी सचिव महोदय) राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग कोटा।
4. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, झालावाड।
5. प्रभारी अधिकारी पी.जी.सेल कलेक्ट्रेट झालावाड़।
6. सम्बन्धित निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री ....
7. उपखण्ड अधिकारी समस्त...
8. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण..
9. तहसीलदार/नायब तहसीलदार समस्त...
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त..................................को भेजकर लेख हैं कि पं.स. सदस्य एवं जि.प. सदस्य को भी सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
11. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, झालावाड...
12. उप निदेशक, कम सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग अटल सेवा केन्द्र झालावाड़ को भेजकर लेख हैं कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी माह नवम्बर 2015 का उक्त कार्यक्रम झालावाड़ वेबसाईड पर प्रदर्शित करने का श्रम करें।
13. पीए टू कलक्टर/एडीएम झालावाड
14. पीए टू सीईओ/एसीईओ, जिला परिषद, झालावाड़

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, झालावाड़

(100)